# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज॰

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 342/2024
जीसीएमएस नं. :— 2024/520

प्रार्थीया :—
मैना देवी पत्नि मेघाराम जाति कुम्हार
निवासी खारिया अनावास तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अशोक कुमार पटेल प्रार्थीया की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :— 18.12.2024

## ''आदेश''

दिनांक : 26.06.2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खारिया अनावास, पटवार हल्का रावनियाना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिरढाणी, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 572 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 1.2297 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.8252 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.2375 हैक्टेयर आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 328 पर प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का 2/5 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम से करते समय हल्का पटवारी द्वारा द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया का नाम मैनादेवी के स्थान पर मैना दर्ज कर दियां गया है। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम मैना देवी है। जिसके सबूत प्रार्थी के आधारकार्ड, प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, प्रार्थी के पैनकार्ड, प्रार्थीया के जन आधारकार्ड की प्रतियों साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थीया का सही नाम मैना देवी दर्ज है तथा इसी ग्राम खारिया अनावास में प्रार्थी के नाम स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 567, 568, 569 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का सही नाम मैनादेवी पत्नी मेगाराम दर्ज है। जिसकी चालु जमाबन्दी की प्रतियों प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम मैना दर्ज करते समय हल्का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की जाँच नहीं की गयी व न ही प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। जबकि प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थीया का सही नाम मैनादेवी दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपना गलत नाम मैना के स्थान पर सही नाम मैनादेवी दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर सुधार कार्य व अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्ति हेतु वर्तमान जमाबन्दी की प्रतिलिपि लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी तथा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो प्रार्थीया को जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम मैनादेवी के स्थान पर मैना दर्ज है जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड व अपने सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों दी तथा उपरोक्तानुसार नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीया को यह कहते हुए नाम शुद्ध करने से मना कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरा नही ले सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम मैना के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम मैनादेवी दर्ज किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। अन्य उजरात बरवक्त बहस निवेदन किये जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 572 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 1.2297 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.8252 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.2375 हैक्टेयर वाके ग्राम खारिया अनावास, तहसील पीपाड़शहर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का गलत नाम मैना के स्थान पर प्रार्थीया के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम मैनादेवी दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम खारिया अनावास की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 328 में मैना पत्नि मेघाराम सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेनकार्ड, एवं राशनकार्ड, में प्रार्थी का नाम मैनादेवी दर्ज हैं। प्रार्थी के इसी ग्राम में स्थित अन्य भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2081 के खाता सं. 36, 37 में भी प्रार्थी का सही नाम मैनादेवी पत्नि मेघाराम दर्ज हैं। ग्राम पंचायत खारिया अनावास द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार मैना एवं

मैनादेवी दोनो एक ही महिला के नाम हैं। अतः बिन्दुवार मौके की जांच के अनुसार मैनादेवी का नाम ग्राम खारिया अनावास के जमाबंदी संवत् 2081 के खाता सं. 323 में लिपिकीय भूल से मैना दर्ज हो गया, जिसे जमाबन्दी क्रमांक 11 में दर्ज मैना पत्नि मेघाराम के स्थान पर मैनादेवी पत्नि मेघाराम दुरूस्त करने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम खारिया अनावास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 572 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 1.2297 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 1.4562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.8252 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.2375 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का गलत नाम मैना के स्थान पर प्रार्थीया के सरकारी दस्तावेज व तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट अनुसार सही नाम मैनादेवी दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 26.06.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर